भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.3473

दिनांक 22 मार्च, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

## चांदी का आयात

**3473**. **श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :**
**श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः**
**श्री सुधीर गुप्ताः**
**श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:**
**श्री बिद्युत बरन महतोः**
**श्री प्रतापराव जाधव:**
**क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या देश में चांदी की खपत में भारी वृद्धि हुई है;
(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या भारत का चांदी का आयात भी 2022 में 9,450 टन के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जो 2015 में पिछले उच्च स्तर 8,093 टन की तुलना में देश का अब तक का उच्चतम वार्षिक आयात है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) वर्तमान वर्ष के दौरान चांदी के आयात पर कुल कितना विदेशी मुद्रा भंडार खर्च किया गया;
(ङ) क्या सरकार ने विदेशों से चांदी के आयात को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) सरकार द्वारा देश में चांदी के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)**

(क) से (ग) विगत तीन वर्षों में सीमा शुल्क प्रशुल्क कोड (सीटीएच) 7106 के तहत आयातित चांदी की मात्रा निम्नानुसार है:

| कैलेंडर वर्ष | मात्रा टन में |
|---|---|
| 2020 | 2225 |
| 2021 | 2803 |
| 2022 | 9534 |

स्रोत:डीजीसीआई और एस

2022 में चांदी के बढ़े हुए आयात का कारण (i) कोविड-19 के कारण पिछले वर्षों में मंदी के कारण मांग में वृद्धि और (ii) अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमत में उतार-चढ़ाव हो सकता है।
(घ) वर्ष 2022 के दौरान चांदी के आयात पर कुल 6340 मिलियन अमेरिकी डॉलर व्यय किए गए।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक (बैंकों के मामले में) और विदेश व्यापार महानिदेशालय (अन्य एजेंसियों के लिए) द्वारा नामित एजेंसियों के माध्यम से ही चांदी के आयात की अनुमति है। सोने के साथ चांदी के सीमा शुल्क संरचना को संरेखित करने के लिए, केंद्रीय बजट 2023-24 में, दिनांक 02.02.2023 से चांदी के आयात (सीटीएच 7106 के तहत आने वाले) पर सीमा शुल्क दर को 10.75% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया, चांदी के डोरे (अध्याय 71 के तहत आने वाले) के आयात पर 9.21% से 14.35% और चाँदी की वस्तुओं/आभूषणों (7113, 7114 के अंतर्गत आने वाले) के आयात पर 22% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है।

(च) देश में घरेलू खनिज उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए, खान मंत्रालय ने अन्वेषण गतिविधि को बढ़ावा देने और खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए राज्यों को सौंपी जाने वाली भूगर्भीय रिपोर्ट की संख्या बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। इसके अलावा, खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 में 2015 और 2021 में किए गए संशोधनों का उद्देश्य खनिजों के उत्पादन में वृद्धि और खानों का समयबद्ध संचालन, पट्टेदार के परिवर्तन होने के बाद भी खनन कार्यों में निरंतरता बनाए रखना और खनिज संसाधनों की खोज और नीलामी की गति में वृद्धि करना है।

*****